

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) दिनेश उराँव पिता- हरी उराँव 2.) गंगा उराँव पिता- दुर्गा उराँव , 3. ) खिरोधर उराँव पिता- दुर्गा उराँव, 4.) तेतरा उराँव पिता- स्व. चन्द्रू उराँव, 5.) सोहरी देवी पिता- स्व. लेदवा उराँव, पति- राजेंद्र उराँव, 6.) विजय उराँव पिता- स्व. लेदवा उराँव ग्राम: देवलगड़ा, थाना: टंडवा जिला : चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम:- सराधु , थाना: टंडवा जिला: चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 28 (रैयती भूमि) खाता सं. 134, के अधीन प्लॉट सं. - 490, 495, 497, 518, 519, 520, 527, 543, 544P, 545P, 551P, 633, 637, 639, 634, 635, 644, 652, 653, 655, 657, 618, 619, 631, 495 ; खाता सं. - 202; के अधीन प्लॉट सं. 1732, 1737; (GMJJ भूमि खाता सं. - 278; के अधीन प्लॉट सं. 636, 489;) खाता सं. - 33; के अधीन प्लॉट सं. 557 ; खाता सं. - 186; के अधीन प्लॉट सं. 753; कुल रकबा: - 12.0018 एकड़ ((रैयती भूमि) 9.8218 एकड़ & GMJJ- 2.18 एकड़) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त दस दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

दिनेश उराँव  
31/5/23